जेपीडी–6/389

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांकः जे.पी.डी./ /राज./पत्रा.215/प्रे.393 जयपुर, दिनांकः 20-2-14

–: आदेश :–

यह विदित है कि राज्य के विद्युत वितरण निगम गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं एवं इस समस्या से उबरने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं वितरण निगमों द्वारा अनेक कदम उठाये गये है। इसी क्रम में विद्युत निगमों को अपने आंतरिक संसाधन जुटाने/बढ़ाने हेतु समुचित कदम उठाने होगें। इस परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि समय पर एवं सही बिलिंग करते हुए राजस्व में सुधार एवं तत्सम्बन्धी वसूली पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए। यह महसूस किया गया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर निगम के सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक ने राजस्व बढ़ोतरी एवं राजस्व वसूली के सम्बन्ध में गंभीर चिंता व्यक्त की है।

अतः समय पर एवं उचित/सही बिलिंग एवं राजस्व वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र में इस विषय में निम्न गतिविधियों को पूर्ण लगन, प्रतिबद्वता एवं दक्षता के साथ सम्पादित करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर समुचित कार्यवाही की जायेगीः–

(अ) राजस्व वृद्धिः–

1. निर्धारित बिलिंग कार्य क्रमानुसार उपभोक्ताओं को समय से बिल जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
2. कृषि एवं BPL उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी उपभोक्ताओं के प्रथम बिल शीघ्र एवं समय पर जारी किये जाये।
3. सभी अस्थायी उपभोक्ताओं के बिल आवश्यक रुप से जारी कर उनके द्वारा वास्तविक उपभोग/ लोड पर सतत निगरानी रखते हुऐ वास्तविक बिल जारी कर राशि वसूल की जाऐ।
4. प्रचलित टैरिफ(दि. 07.06.13) के अनुसार ही उपभोक्ताओं को बिल जारी किये जाये, पूर्व में किन्हीं कारणवश कम/ज्यादा ली गई राशि का समायोजन आगामी बिलों में कर सम्बन्धित उपभोक्ताओं को इस बाबत होने वाली बेवजह मुशकिलो से निजात मिल सके ।
5. स्पॉट डेबिट, सतर्कता जॉच, मीटर शाखा द्वारा की जॉच एवं A-30 रिर्पोटों की जॉच के फलस्वरुप वसूलनीय राशि संबंधित उपभोक्ताओं को शीघ्र डेबिट कर इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाऐ।
6. शून्य उपभोग/नितान्त कम उपभोग वाले उपभोक्ताओं के परिसरों की जॉच हेतु सम्बन्धित तकनीकि अधिकारियों को सूचित कर, आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

7. सही मीटर गुणांक (MF) के अनुसार बिलिंग सुनिश्चित की जाये।
8. मीटर पठन नहीं देने वाले मीटरों के बिजली खपत की जॉच, HHT मशीन या प्रयोगशाला जॉच से सुनिश्चित की जाकर डेबिट की जाने वाली राशि की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाऐ।
9. सभी कृषि उपभोक्ताओं का मीटर पठन बिलिंग कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जाये।
10. परिवर्तित मीटरो द्वारा दर्ज उपभोग की बिलिंग समय पर सुनिश्चित की जाये।
11. सभी उपभोक्ताओं से आदेश सं. JPR5-686 दि. 22.01.13 एवं JPR5-707 दि. 12.08.13 द्वारा वसूल की जाने वाली ईधन अधिभार की राशि (क्रमशः 16 पैसे एवं 5 पैसे प्रति यूनिट) की वसूली यदि अभी तक बकाया है शीध्र सुनिश्चित की जाये।
12. MS-14 द्वारा प्रेषित ऊर्जा एवं सम्बन्धित राशि की सत्यत्ता/वास्तविकता सुनिश्चित की की जाऐ।
13. उपभोक्ताओं को बदले गये मीटर के अनुसार ही बिल भेजा जाये।

(ब) <u>राजस्व वसूली:–</u>

1. सम्बन्धित समझौता समितियों द्वारा विवादित मामलों का शीघ्र निपटारा कर उपभोक्ताओं की शिकायतो का निवारण सुनिश्चित करें।
2. न्यायाधीन प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु विषेश प्रयास किये जाये।
3. दोषी उपभोक्ताओं के कनेक्शन नियमानुसार शीघ्र काटे जाये।
4. कटे हुए कनेक्शनों के परिसरों की नियमित जॉच की जाये।
5. कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि संबंधित उपभोक्ता के वर्तमान चालू कनेक्श्न के खाते में डेबिट की जाये।
6. पी.डी.सी. उपभोक्ताओं की वापसी योग्य अमानत राशि का शीघ्र समायोजन किया जाये।
7. एल. आर. एक्ट एवं ई.यू.डी.आर. एक्ट के तहत बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष प्रयास किये जाये।

20.2.14

(दीपक श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1 प्रबंध निदेशक अजमेर/जयपुर/जोधपुर वि.वि.नि. लिमिटेड,.................. ।
2 निदेशक (वित्त/तकनीकी), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर
3 मुख्य अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ...
4 मुख्य लेखाधिकारी (   ), ज.वि.वि.नि. लिमिटेड, जयपुर।
5 अधीक्षण अभियन्ता (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, ... को भेजकर सलाह दी जाती है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों में इन आदेशों की छायाप्रति का वितरण सुनिश्चित करे।
6 वरिष्ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी (   ), ज.वि.वि.नि.लिमिटेड,............................ को लेख है कि उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन मे उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

विशेषाधिकारी (राजस्व)